सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 253 राँची, सोमवार, 18 वैशाख, 1938 (श०)
8 मई, 2017 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

6 अप्रैल, 2017

कृपया पढ़े:-

1. उपायुक्त, पलामू का पत्रांक-1153, दिनांक 24 अक्टूबर, 2014 एवं पत्रांक-1961/वि०, दिनांक 24 दिसम्बर, 2016
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-646, दिनांक 27 जनवरी, 2015 एवं पत्रांक-2137, दिनांक 4 मार्च, 2015

संख्या- 5/आरोप-1-552/2014 का.-5154-- डॉ० रवीन्द्र सिंह, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-441/03, गृह जिला-गया, बिहार), तत्कालीन उप विकास आयुक्त, पलामू, सम्प्रति- सेवानिवृत के विरूद्ध उपायुक्त,

पलामू के पत्रांक-1153, दिनांक 24 अक्टूबर, 2014 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया। प्रपत्र- 'क' में इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गये हैः-

1. प्राइवेट संगठन "चेरो आदिवासी महासभा" के द्वारा दिनांक 11 एवं 12 फरवरी, 2013 को दुबियाखाड़ में आयोजित परम्परागत मेले में उपायुक्त के स्तर से जिला प्रशासन की भागीदारी संबंधित कोई निदेश निर्गत नहीं किये गये थे । फिर भी आरोपित पदाधिकारी, डॉ० सिंह के द्वारा अपने स्तर से सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को पत्र निर्गत किया गया एवं सरकारी परिसम्पत्तियों के वितरण/वन अधिकार अधिनियम के तहत जमीन पट्टा वितरण/स्कूल के छात्र-छात्राओं के बीच साईकिल आदि का वितरण के लिए बिना उपायुक्त की अनुमति या जानकारी के अपने स्तर से सभी संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/संबंधित पदाधिकारियों को पत्र निर्गत किया गया । इस प्रकार बगैर कोई आदेश/निदेश के उपर्युक्त कार्य किये गये ।

2. उपायुक्त, पलामू के चैनपुर दौरे के क्रम में जब यह बात प्रकाश में आई तो परिसम्पत्तियों के वितरण पर तत्काल रोक लगाते हुए उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्य पदाधिकारी, जिला परिषद्, पलामू से मेले के आयोजन/परिसम्पत्तियों के वितरण एवं माननीय स्थानीय सांसद/विधायक को निमंत्रण नहीं देने के संबंध में स्पष्टीकरण माँगे जाने पर तय समय-सीमा पर स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया ।

3. दिनांक 12 फरवरी, 2013 को स्थानीय सांसद/विधायक को निमंत्रित करने हेतु निदेश दिये जाने के बावजूद माननीय विधायक श्री के० एन० त्रिपाठी को कोई मौखिक/लिखित सूचना आरोपित पदाधिकारी के द्वारा नहीं दिया गया । उपायुक्त, पलामू के निदेश के आलोक में निदेशक, डी०आर०डी०ए०, पलामू द्वारा उक्त दोनों माननीय सांसद/विधायक को मेले में भाग लेने का अनुरोध एवं परिसम्पत्तियों के वितरण हेतु निदेश दिया गया ।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-646, दिनांक 27 जनवरी, 2015 द्वारा डॉ० सिंह से स्पष्टीकरण की माँग की गयी । इसके अनुपालन में इनके द्वारा ज्ञापांक-88/गो०, दिनांक 11 फरवरी, 2015 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें इनके द्वारा प्रपत्र- 'क' में लगाये गये तीनों आरोपों को मिथ्या, बेबुनियाद एवं दुर्भावना से प्रेरित होकर लगाया जाना बताया गया तथा आरोपों से मुक्त करने का अनुरोध किया गया ।

डॉ० सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-2137, दिनांक 4 मार्च, 2015 द्वारा उपायुक्त, पलामू से मंतव्य की माँग की गयी तथा इसके लिए स्मारित भी किया गया । उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-1961/वि०, दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 द्वारा डॉ० सिंह के स्पष्टीकरण पर मंतव्य

उपलब्ध कराया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि डॉ० सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इनके विरूद्ध गठित आरोप वित्तीय अनियमितता का नहीं है तथा जानबूझकर उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना नहीं किया गया प्रतीत होता है, संभवतः यह अनजाने में हुआ मामला है । उपायुक्त, पलामू द्वारा इनके स्पष्टीकरण पर सहानूभूतिपूर्वक विचार करते हुए इन्हें आरोप मुक्त करने का मंतव्य गठित किया गया ।

समीक्षोपरान्त, उपायुक्त, पलामू के मंतव्य से सहमत होते हुए डॉ० रवीन्द्र सिंह, तत्कालीन उप विकास आयुक्त, पलामू, सम्प्रति-सेवानिवृत्त झा०प्र०से० से प्राप्त स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए मामले को संचिकास्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 253--50